फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

गीता देवी वगैरह **बनाम** रमेश वगैरह

संख्या /वर्ष अपील संख्या : 8/2019 नव/गंवाज 6/2/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप॰। व्यस्तता के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि॰ 9/10/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
9/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप॰। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 8 द्वारा पूर्व मे लिखित बहस व अपीलार्थीगण के वकील द्वारा पेश लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षो के वकीलो की बहस सुनी। वकील अपीलान्टगण ने बहस मे लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराया व रेस्पोडेन्ट सं. 6 व 8 के वकील ने अपनी बहस मे लिखित बहस मे अंकित तथ्यो को दोहराया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। लिखित बहस सगौर मनन किया गया। अपीलान्टगण सं. 1 ता 4 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के दादा, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के ससुर के विधिक वारिसान है। जिनका प्रश्नगत वादग्रस्त भूमि मे प्रथम श्रेणी वारिसान के रूप में पैतृक आराजीयात मे हक हिस्सा निहित रहा है। अपीलार्थीगण ने अपने हक हिस्से का हकत्याग जरिए पंजीकृत हकत्याग दिनांक 27/6/2002 को पुस्तक संख्या I प.स. 353 के क्रम संख्या 4521 से कार्यालय उपपंजीयक सांगानेर प्रथम के समक्ष कर दिया गया। रिकॉर्डेड खातेदार द्वारा सहखातेदार के पक्ष मे विधिपूर्ण हकत्याग किये जाने के उपरान्त खोले गए नामान्तकरण मे हक अधिकार त्याग दिए जाने वाले सहखातेदारान का नाम अंकित किया जाना विधि सम्मत नहीं है अत: अपील अपीलान्टगण खारिज की जाती है। तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सरेआम सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.02 10:28:56 IST
Reason: SelfAttested